

जनता की समस्याओं का समाधान हमारी प्रमुख प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन के उच्चतम मानकों के अनुरूप अधिकारी-कर्मचारी आमजन की परिवेदनाओं पर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि आमजन की संतुष्टि ही हमारा प्रमुख ध्येय है।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आमजन से व्यक्तिशः जनसंवाद करते हुए उनकी प्रत्येक समस्या को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ना केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए गुड गवर्नंस का बेहतरीन मॉडल स्थापित करना है। शर्मा ने लकवा ग्रस्त मुकेश सिंह राजावत को मुख्यमंत्री सहायता कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता जारी करने के निर्देश



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उनके निवास पर नियमित जनसुनवाई के दौरान आमजन से व्यक्तिशः जनसंवाद करते हुए उनकी प्रत्येक समस्या को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

प्रदान किए। मुख्यमंत्री को राजावत ने अवगत कराया कि वे दो वर्ष से लकवा से पीड़ित हैं और उनका परिवार विषम

आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण को सूचीबद्ध करने के साथ ही

उनका फॉलोअप सुनिश्चित करने और परिवादियों को सूचित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जो

- ‘हमारे गुड गवर्नंस के मॉडल में जनसेवा सर्वोपरि’
- ‘परिवेदनाओं के निस्तारण में कोताही नहीं होगी बदाश्त’

कार्मिक आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरते, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, कार्मिक अगर सेवानिवृत्त हो गया है, तो उस स्थिति में उनको पेंशन भी रोकी जाए। शर्मा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मनरेगा, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। इस अवसर पर आमजन और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार को रिवीजन याचिका वापस लेने की मंजूरी

- एसएलपी करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक को बनाया इंटर विनर

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में तत्कालीन आईएसएस अधिकारी जीएस संघू और दो अन्य निष्काम दिवाकर व ऑकारमल सेनी को लेकर राज्य सरकार की ओर से पूर्व में पेश रिवीजन याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। दूसरी ओर अदालत ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक को इंटर विनर बना लिया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और अशोक पाठक के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की ओर से पेश याचिकाओं पर 14 मई से नियमित सुनवाई करने को कहा है। अदालत ने दोनों प्रार्थना पत्रों पर गत दिनों सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार ने एसीबी कोर्ट

दोषपूर्ण है तो वह न्याय के लिए उस संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय पर भी पुनर्विचार कर सकती है। इसलिए उन्हें रिवीजन याचिका वापस लेने की मंजूरी दी जाए। जिसका विरोध करते हुए तत्कालीन अधिकारियों की ओर से कहा गया कि सरकार बदलने के चलते राजनीतिक कारण से रिवीजन याचिका को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

वहीं अशोक पाठक की ओर से कहा गया कि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और यह अपराध किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ होता है। ऐसे में उन्हें मामले में पक्षकार बनने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी एसएलपी पर सुनवाई की है। ऐसे में उन्हें मौजूदा राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केस को आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं राज्य सरकार को यह अधिकार है कि यदि जांच में कोई कमी, गलती या जांच

दोषपूर्ण है तो वह न्याय के लिए उस संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय पर भी पुनर्विचार कर सकती है। इसलिए उन्हें रिवीजन याचिका वापस लेने की मंजूरी दी जाए। जिसका विरोध करते हुए तत्कालीन अधिकारियों की ओर से कहा गया कि सरकार बदलने के चलते राजनीतिक कारण से रिवीजन याचिका को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़ें बने हमसफर



श्री सिद्धपीठ बैनाड़ा धाम में सोमवार को अखिल भारतीय हरियाणा गोड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया।

जयपुर। श्री सिद्धपीठ बैनाड़ा धाम में सोमवार को अखिल भारतीय हरियाणा गोड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। विवाह सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र उच्चारण व दीप प्रज्वालित कर की गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के नव विवाहित 11 जोड़ें जनप्रतिनिधियों व हजारों लोगों की उपस्थिति में एक दूसरे के हमसफर बने और एक दूसरे का साथ निभाने के वचन लिए।

नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए कई मंत्री, विधायक व नेता व साधु संत समारोह में पहुंचे। समाज के दानदाताओं की ओर से नव विवाहितों को उपहार दिए गए। वहीं सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चंद

शर्मा, जयपुर डेयरी डायरेक्टर व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामनारायण कांजला असरपुरा, कोषाध्यक्ष शम्भू कुईवाला, सीताराम अलियाबाद समेत समाज के अन्य वक्ताओं ने आयोजन की सराहना करते हुए ऐसे सम्मेलनों की आवश्यकता बताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चंद शर्मा ने कहा कि समाज में फिजूलखर्ची पर रोक लगाने व समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अखिल भारतीय हरियाणा गोड़ ब्राह्मण महासभा का यह आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान प्रदेश के साथ ही यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा गुजरात से समाजबंधु इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन

मंत्री झाबर सिंह खर्रा, अशोक परनामी, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, चंद्रमोहन मीणा बस्सी, जमवारामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा, राष्ट्रीय महामंत्री सीताराम अलियाबाद,राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शंभू लाल कुईवाला, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष गोपाल गोगोरिया, राष्ट्रीय सह महामंत्री बंशी बोहरा, राष्ट्रीय संयोजक सुभाष गोगोरिया, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष रामनारायण कांजला, रमेश गोगोरिया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रमेश शर्मा मावावाले, युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सुनील टीलावाला, जयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष बजरंग लाल बोहरा, युवा प्रदेश अध्यक्ष दुर्गाशंकर उदाला, रमेश गोगोरिया गोविंदपुरा हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

सभी पंजीकृत पशुओं का बीमा यथाशीघ्र कराने के निर्देश

जयपुर। शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में पशुपालन निदेशक तथा आरएलडीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ आनंद सेजरा, एसआइपीएफ के निदेशक कुशल तथा पशुपालन विभाग के वित्तीय सलाहकार मनोज शांडिल्य सहित विभाग के समस्त अतिरिक्त निदेशक तथा सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिलों के संयुक्त निदेशक तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

मंगला पशु बीमा योजना के क्रियान्वयन में जारी किए जा रहे स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों एवं बीमा की प्रगति की समीक्षा करते हुए डॉ शर्मा ने विभाग को पंजीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बधाई दी और सभी पंजीकृत पशुओं का बीमा यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिए जिससे पशुपालकों को योजना का जल्द से जल्द लाभ मिलना शुरू हो सके। उन्होंने नाजगजी जाहिर करते हुए कहा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी होने और बीमा होने के बीच काफी बड़ा अंतर है। इसका कारण सर्वे टीम की कमी है। उन्होंने सर्वेयर कंपनी को जल्द से जल्द इस अंतर को कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी से अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के डुअल और हाइब्रिड मोड में संचालन की समीक्षा करते हुए



पशुपालन, गोपालन और मत्स्य शासन सचिव डॉ.समित शर्मा की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

पर्यवेक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एमवीयू के पर्यवेक्षण के लिए गूगल शीट भरने के सख्त निर्देश जिलों को दिए। उन्होंने कहा कि एमवीयू के प्रभावी पर्यवेक्षण में अभी भी कमियां पाई जा रही हैं इसलिए इसका पर्याप्त निरीक्षण सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। कुछ जिले अच्छा काम कर रहे हैं उनसे परामर्श कर अपने कार्य में सुधार लाएं।

पशु चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता और बिलों के भुगतान पर चर्चा करते हुए डॉ शर्मा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में दवाइयों की

उपलब्धता में कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्थान में पर्याप्त संख्या में दवाइयों उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि समय रहते उन्हें दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर दवाइयों की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए और दवाइयों का समुचित तथा समय पर उपयोग होना चाहिए। अगर किसी जिले में कोई दवा काम नहीं आ रही हो तो जिन जिलों में उसकी जरूरत है वहां भिजवाने की व्यवस्था करें। विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेश मीना ने बताया कि अप्रैल से जून तक की मांग

संकलित कर क्रयादेश निदेशालय स्तर से जारी कर दिया गए हैं, फर्मा ड्रागर निरंतर सप्लाई जारी है।

इस अवसर पर विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों से मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित सॉफ्टवेयर में ही भिजवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक पर बीबीएचओ को मैन विथ मशीन और वाहन की सुविधा दी गई है परंतु जिलाधिकारी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। सभी जिले यह व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे काम में गति और गुणवत्ता दोनों आएगी। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति को प्रस्तुति दी।

राजस्थान सरकार दे रही हर वर्ग को सम्मानजनक और आधुनिक आवास का अवसर : खर्रा

जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं का आज जयपुर विकास प्राधिकरण नागरिक सेवा केंद्र में शुभारम्भ किया गया। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह केवल निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला कदम है।

खर्रा ने बताया कि इन 5 योजनाओं के तहत कुल 427 आवास/फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जो जयपुर, बारां, बूंदी और धौलपुर जैसे जिलों में आमजन को एक बेहतर आवासीय विकल्प देंगे। मुख्य योजनाओं में गुलमोहर अपार्टमेंट, मानसरोवर (जयपुर), गंगा अपार्टमेंट, प्रतापनगर (जयपुर), गजनपुरा योजना, बारां, लाखेरी योजना, बूंदी, बाड़ी रोड़ योजना, धौलपुर शामिल हैं।

इस अवसर पर मंत्री खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ



नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राजस्थान आवासन मण्डल की पांच आवासीय योजनाओं की शुरुआत की।

मकान नहीं दे रही , बल्कि एक सम्मानजनक जीवन का माध्यम दे रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी योजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित की जाएंगी, ताकि

लाभार्थियों को आधुनिक जीवन की समस्त सुविधाएं मिल सकें।

शुभारम्भ समारोह में आवासन मण्डल के अध्यक्ष वैभव गालरिया, आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा सहित

अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक व मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बताया।

भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि पहलुगाम हमले के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को सबक सिखाने के साथ आतंक के प्रशिक्षण केंद्रों को ध्वस्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इतना ही नहीं, पाक की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को पैदा करने वालों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, इसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और अभी भी जारी है।

राठौड़ ने कहा कि देश के शीर्ष नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए चर्चा के लिए समय मांगा और हमारे नेतृत्व ने चर्चा के लिये समय दिया है। इतमें किसी की भी मध्यता नहीं की गई। भारत का मकसद आतंकवादियों को सबक सिखाने का था और अपने मकसद में ऑपरेशन सिंदूर चलाने का उद्देश्य एक

भारतीय सेना शत प्रतिशत सफल हुई। हालात यह हो गए कि जो बच गए, वो भी मौत मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारतीय सेना ने आतंकवादी, आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र और आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत करीबन 100 से अधिक आतंकियों को मारा गया है। राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता नहीं है, ऐसे में भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए भारत में आम लोगों को शिकार बनाया है। हालांकि भारतीय सेना ने उनके डून हमलों को भारतीय जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को भी ध्वस्त करने का ऐतिहासिक काम किया। राठौड़ ने ऑपरेशन सिंदूर चलाने का उद्देश्य एक

बार फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य आतंकवाद है और रहेगा। ऐसे में विपक्ष को धैर्य रखने की भी जरूरत है। प्रश्न करना विपक्ष का अधिकार है लेकिन आलोचना करना सही नहीं है। राठौड़ ने कहा कि देश की कुटनीतियों को उजागर किया जाए, यह भी जरूरी नहीं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कंवरलाल मीणा की विधायकी के सवाल का जवाब में कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस कंवरलाल मीणा की विधायकी पर सवाल कर रही है, जबकि एक विधायक 20 लाख रूपए की रश्चत लेते हुए पकड़ा जाता है और कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता इस पर कुछ भी नहीं बोलता। क्या यह कांग्रेस का आपसी समझौता है, या मिलीभगत है या फिर बीएपी पार्टी से उनकी आपसी दोस्ती के चलते चुपची साधे हुए है। कांग्रेस को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए।

कांग्रेस ने फिर उठाई कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रह करने की मांग

- डोटासरा बोले, “विधानसभा अध्यक्ष ने दबा रखी है फाइल”
- जूली ने फिर लिखा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र

था, किन्तु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण को ठण्डे बस्ते में डालकर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आगामी 24 घण्टे में विधायक की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया है, जबकि नियमानुसार दोष सिद्ध होने पर विधायक की सदस्यता स्वतः ही निरस्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 मई को कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के नाम विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने के लिये जापन भी सौंप दिया गया

गौंधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था, दूसरी ओर भाजपा शासन में लगभग 25 दिन बीतने के पश्चात् भी दोष सिद्ध होने पर विधायक की सदस्यता पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है।

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता से भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा की सदस्यता को लेकर बरकरार अनिश्चय की स्थिति को विधान सभा की ऐतिहासिक संवैधानिक परम्पराओं पर निरस्त करने का विधान सभा की गौरवशाली परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर अविलम्ब भाजपा विधायक की सदस्यता को निरस्त करने का निर्णय

जूली ने पत्र में लिखा है कि यह बेहद अफसोस की बात है कि कंवरलाल मीणा विधायक अंता की

सदस्यता के बारे में आदिनांक तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि “लिली थोमस बनाम भारत संघ” प्रकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन से राजस्थान उच्च न्यायालय तथा उसके पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भाजपा विधायक की सजा यथावत् रखी गई, उसी दिन से इनकी सदस्यता रह हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं करके कानून का उपहास उड़ाया जा रहा है। जूली ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज किये जाने के बाद अब और कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता है, इसलिए उनकी सदस्यता जाना और कारावास निश्चित है।

जूली ने अध्यक्ष से मांग की है कि आप अपने अधिकारों का समुचित उपयोग करते हुए आ ही कंवर लाल मीणा की सदस्यता निरस्त कर निष्पक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करने के साथ ही राजस्थान विधान सभा की गौरवशाली परम्पराओं को बनाये रखें।